



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को **20 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये** के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक **09.10.2025** को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में **01 आरोपी** को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 11.02.2020 को अभियुक्त अंकुर पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम बागडपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 51/2020 धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 08.03.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- आज दिनांक 09.10.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा **20 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री उत्तम सिंह राठौर, पैरोकार म0का0 75 मोनू मलिक व कोर्ट मोहर्नरि है0का0 704 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

